

विधिक जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम



18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह करना, विवाह करवाना, विवाह में शामिल होना, ऐसे विवाह को बढ़ावा देना - बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनन अपराध है। इसके अंतर्गत 2 साल तक की कड़ी सज़ा या 2 लाख रु. तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

बनें जागरूक जानें अधिकार

महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी व किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत के लिए 1090 पर टोल फ्री कॉल करें या www.doj.gov.in पर जाएं



न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

अभी है उसकी पढ़ने की उम्र
शादी करके करो न जुल्म